न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 07 / 2023
प्रविष्टि दिनांक 17.02.2023

जरिये धर्मचन्द अग्रवाल, प्रर्वतन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक
– प्रार्थी

बनाम

मै0 राजेश कुमार कुमावत पुत्र श्री बद्रीलाल कुमावत ग्राम नासिरदा तहसील देवली
– अप्रार्थी

जब्तशुदा 5 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 01 मोटर मय पाईप आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थितः–
1– पेराकार सरकार –प्रार्थी की ओर से

निर्णय **दिनांक 12.04.2023**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि दिनांक 10.02.2023 को जिला रसद अधिकारी टोंक बहमराह प्रवर्तन अधिकारीगण द्वारा मै0 राजेश कुमार कुमावत पुत्र श्री बद्री लाल कुमावत बस स्टेण्ड ग्राम नासिरदा तहसील देवली के मकान में अवैध गैस भण्डारण होने की सूचना प्राप्त होने पर पहुचें। मौके पर मकान में प्रवेश द्वार वाली बरामदा (पॉल) में 05 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं वाहनों में रिफिलिंग के काम में आने वाली मोटर मय रेगूलेटर पाईप के रखी होना पाई गई। मौके पर पाई गई मोटर का एक सिरा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर से जुडा हुआ था। घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर का अवैध रूप से मोटर से जोडा जाना, इससे स्पष्ट है कि वहॉ पर उक्त सिलेण्डर के माध्यम से अवैध रिफिलिंग का कार्य होता है। बिना वैध दस्तावेजों एवं अनुज्ञा पत्र के घरेलू गैस सिलेण्डरों का भण्डारण किया जाना एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 का स्पष्ट उल्लघंन होने के कारण उक्त 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय मोटर एवं पाईप मौके पर कब्जेराज लिया जाकर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र.स.	एस.आर. नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार K.G.	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्ध गैस K.G.
1	125382E	(BPCL)	14.2	16.0	29.3	13.3
2	213372	(BPCL)	14.2	16.1	30.0	13.9
3	653803	(BPCL)	14.2	16.9	30.4	13.5
4	463685	(IOC)	14.2	15.7	15.7	0
5	101390T	(BPCL)	14.2	15.7	15.7	0
				Total		40.7

अतः जब्तशुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 40.7 K.G. एलपीजी गैस, 01 मोटर मय पाईप को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गयी। अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रकरण मे पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 10.02.2023 को जिला रसद अधिकारी टोंक बहमराह प्रवर्तन अधिकारीगण द्वारा मै0 राजेश कुमार कुमावत पुत्र श्री बद्री लाल कुमावत बस स्टेण्ड ग्राम नासिरदा तहसील देवली के मकान में अवैध गैस भण्डारण होने की सूचना प्राप्त होने पर पहुचें। मौके पर मकान में प्रवेश द्वार वाली बरामदा (पॉल) में 05 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं वाहनों में रिफिलिंग के काम में आने वाली मोटर मय रेगूलेटर पाईप के रखी होना पाई गई। मौके पर पाई गई मोटर का एक सिरा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर से जुडा हुआ था। घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर का अवैध रूप से मोटर से जोडा जाना, इससे स्पष्ट है कि वहॉ पर उक्त सिलेण्डर के माध्यम से अवैध रिफिलिंग का कार्य होता है। बिना वैध दस्तावेजों एवं अनुज्ञा पत्र के घरेलू गैस सिलेण्डरों का भण्डारण किया जाना एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 का स्पष्ट उल्लघंन होने के कारण उक्त 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय मोटर एवं

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

पाईप मौके पर कब्जेराज लिया जाकर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई। इस प्रकार घरेलू गैस सिलण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाना एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है। इस कारण उपरोक्त 05 घरेलू गैस सिलेण्डरों व मोटर को जब्त किया गया तथा जब्त सामग्री को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित रखने हेतु सूफी इण्डेन गैस के प्रतिनिधि श्री मनोज रैगर पुत्र श्री छीतरमल रैगर निवासी नासिरदा की सपुदर्गी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी जहॉ भी राज्य सरकार मांगे प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द–बुर्द नही करें। व्यवसायी ने उक्त कृत्य कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन किया है। अतः जब्तशुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 40.7 K.G. एलपीजी गैस, 01 मोटर मय पाईप को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है जिसे राजसात किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि0 10.02.2023 के अनुसार मै0 राजेश कुमार कुमावत पुत्र श्री बद्रीलाल कुमावत ग्राम नासिरदा तहसील देवली के मकान का निरीक्षण करने पर अवैध रूप से वाहनो मे रिफिलिंग के कार्ये में प्रयुक्त किया जा रहे उक्त 5 सिलेण्डर मय पाईप व मोटर सहित मौके पर जब्त कर तौल पट्टी तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है।

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र. स.	एस.आर. नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार K.G.	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्व गैस K.G.
1	125382E	(BPCL)	14.2	16.0	29.3	13.3
2	213372	(BPCL)	14.2	16.1	30.0	13.9
3	653803	(BPCL)	14.2	16.9	30.4	13.5
4	463685	(IOC)	14.2	15.7	15.7	0
5	101390T	(BPCL)	14.2	15.7	15.7	0
				Total		40.7

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

जांच करने पर दुकान/मकान मे मौके पर 5 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर मनोज,लाली व इलियास के हस्ताक्षर है। सुपुर्दगीनामे पर भी मनोज,लाली व इलियास के हस्ताक्षर है। सूफी इण्डेन गैस के प्रतिनिधि श्री मनोज रैगर निवासी नासिरदा को उक्त सामग्री सुपुर्दगी मे दी गई है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय–समय पर सब्सिडी दी जाती है को घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व वाहनो मे रिफिलिंग के कार्य में प्रयोग करने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 5 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गेस सिलेण्डर मय 40.7 किलोग्राम को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर
जिला कलेक्टर टोंक
टोंक

न्यायालय जिला क... टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते